निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 वैशाख 1938 (श0)

(सं0 पटना 389) पटना, शुक्रवार, 13 मई 2016

सं0 3ए–2–वे०पु०–07/2015—3972/**वि0**
वित्त विभाग

संकल्प
12 मई 2016

विषयः–चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान संशोधन के संबंध में ।

वित्त विभागीय संकल्प सं0 5961, दिनांक 17.08.2007 द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मियों के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया था कि वैसे चतुर्थवर्गीय कर्मी जिनका मुल वेतन दिनांक 31.12.1995 को रु0 1030/– तक है उनका वेतन रु0 2610–3540/– एवं जिनका रु0 1030/– से अधिक है उनका वेतन 2650–4000/– के वेतनमान में दिनांक 01.01.1996 से निर्धारित किया जाएगा ।

2. उक्त निर्णय के फलस्वरूप जिन चतुर्थवर्गीय कर्मियों का वेतन निर्धारण रु0 2610–3540/– अथवा रु0 2650–4000/– के वेतनमान में किया गया है, उनके लिए वह मूल कोटि का प्रतिस्थायी वेतनमान हुआ, क्योंकि दिनांक 01.01.1996 से पूर्व लागू प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति योजना दिनांक 01.01.1996 से समाप्त हो गई तथा सभी कर्मियों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण मूल कोटि के वेतनमान में करने का निर्णय लिया गया था ।

3. केन्द्रीय वेतनमान लागू करते समय राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि राज्य कर्मियों का वेतन एवं वेतन निर्धारण की पद्धति वही होगी, जो केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया जायेगा । केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.01.1996 से लागू वेतनमान में चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिए वेतन श्रृखंला निम्नरूपेण रही हैः–

2550–3200		
2610–4000	–	1st ACP
2750–4400	–	2nd ACP (Non matric)
3050–4590	–	2nd ACP (Matriculate)

4. वित्त विभागीय पत्रांक 712 दिनांक 25.01.2008 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिए रु0 2610–3540/– या रु0 2650–4000/– के वेतनमान में वेतन निर्धारण हुआ है, उन्हें प्रथम वित्तीय उन्नयन प्राप्त हुआ माना जाएगा तथा 09.08.1999 या उसके बाद 24 वर्षों की सेवा पूरी होने पर केवल एक वित्तीय उन्नयन (द्वित्तीय वित्तीय उन्नयन) वेतनमान रु0 2750–4400/– में अनुमान्य होगा। प्रथम ए०सी०पी० अनुमान्य नहीं होने के उक्त निर्णय के फलस्वरूप इन कर्मियों को ए०सी०पी० के लाभ से वंचित होना पड़ा है।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा केन्द्रीय वेतनमान के अनुरूप उच्चतर वेतनमान की मांग की जाती रही है ।

5. उक्त के आलोक में राज्य सरकार के समक्ष दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान के संशोधन का विषय विचाराधीन है।

6. सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि–

(i) दिनांक 31.12.95 को रु0 1030/– तक वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों के लिए अपुनरीक्षित वेतनमान रु0 2550–3200/– के बदले दिनांक 01.01.96 के प्रभाव से वेतनमान रु0 2610–4000/– (मूल कोटि) संशोधित हो जायेगा। उसी प्रकार दिनांक 31.12.1995 को 1030/– से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे कर्मी के लिए मूल कोटि का वेतनमान 2650–4000/– के रूप में संशोधित हो जाएगा।

(ii) समूह 'घ' के वैसे कर्मी, जो दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से रु0 2610–3540/– का वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, उन्हें उक्त तिथि से वेतनमान रु0 2610–4000/– अनुमान्य होगा।

(iii) उक्त स्थिति में उपरोक्त वर्णित समूह 'घ' कर्मी का पूर्व में प्राप्त प्रथम वित्तीय उन्नयन वेतनमान रु0 2750–4400/– में एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन वेतनमान रु0 3050–4590/– में बिना किसी निर्धारण लाभ के परिवर्तित हो जाएगा। दिनांक 01.01.2006 से उक्त प्रथम ACP तथा द्वितीय ACP वेतनमानों का पुनरीक्षण क्रमशः 1900/– तथा रु0 2000/– के ग्रेड–पे में किया जायेगा, किन्तु जो पूर्व में रु0 2750–4400/– में द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्राप्त होने के कारण पुनरीक्षित वेतनमान PB-1+2400/- एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन रु0 2800 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे है उन्हें इस संशोधन का लाभ अनुमान्य नहीं होगा, क्योंकि वे दिनांक 01.01.2006 से ही उच्चतर ग्रेड पे का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यदि वे अपना विकल्प देते है कि वे अपुनरीक्षित वेनमान 2750–4400/– एवं रु0 3050–4590/– में वेतन निर्धारण चाहते है तो इन वेतनमानों का दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान क्रमशः PB-1+1900/- एवं PB-1+2000/- निर्धारित होगा तथा इन्हें तृतीय रूपांतरित वित्तीय उन्नयन PB-1+2400/- में प्राप्त होगा और यदि पूर्व में उनके द्वारा कोई राशि अधिक ली गई है तो वह वसूलनीय नहीं होगी।

(iv) दिनांक 01.01.2006 से मूलकोटि के वेतनमान रु0 2610–4000/– का पुनरीक्षण PB-1+1800/- में किया जायेगा। अतः प्रथम ACP/MACP, द्वितीय ACP/MACP तथा तृतीय MACP क्रमशः रु0 1900, 2000 तथा 2400 के ग्रेड पे में स्वीकृत किया जा सकेगा।

(v) समूह 'घ' के कार्यालय परिचारी जिनकी प्रोन्नति क्रमशः दफ्तरी, अभिलेखागार एवं ट्रेजरी सरकार के पद पर हुई है, प्रोन्नति के फलस्वरूप ऐसे पदधारकों को पूर्व की तरह क्रमशः ग्रेड पे रु0 1900, 2000 तथा 2400 अनुमान्य होगा । उक्त पदों में से किसी भी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त होने की स्थिति में कर्मी को मूल कोटि का ही वेतनमान यथा अपुनरीक्षित रु0 2610–4000 अथवा पुनरीक्षित PB-1+1800/- में अनुमान्य होगा तथा तदनुसार उच्चतर ग्रेड पे में ACP/MACP अनुमान्य होगा।

(vi) दिनांक 01.01.1996 के उपरांत नियुक्त कर्मी के लिए पूर्ववत व्यवस्था रहेगी। तदनुसार उनका दिनांक 01.01.2006 के प्रभावी वेतनमान की श्रृंखला में वेतन पुनरीक्षण रु0 1800/– ग्रेड–पे में किया जाएगा तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ACP/MACP क्रमशः रु0 1900/–, रु0 2000/– तथा रु0 2400/– के ग्रेड पे में अनुमान्य होगा।

7. पूर्व के निर्गत आदेश इस हद तक स्वतः संशोधित हो जाएंगे। **उक्त संशोधित प्रावधान का वैचारिक लाभ दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी होगा तथा वास्तविक लाभ दिनांक 01.04.2007 से अनुमान्य होगा।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 389–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in